

## प्रशिक्षण :

(क)	<b>हिन्दी भाषा :</b> संस्थान में कार्यरत् 80 प्रतिशत से अधिक वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान है, इसलिए संस्थान को राजभाषा नियम-10(4) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है ।
(ख)	<b>हिन्दी टंकण/प्रशिक्षण :</b> संस्थान में कार्यरत् सभी लिपिकों को हिन्दी टंकण का पर्याप्त ज्ञान हैं एवं वे हिन्दी टंकण कार्य करते हैं ।
(ग)	<b>हिंदीतर भाषियों के लिए विशेष हिन्दी कक्षाओं का आयोजन :</b> संस्थान में कार्यरत् हिंदीतर भाषी वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक दिन विशेष हिन्दी कक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिनमें उन्हें कार्यालयीन हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाता है ।